# समाहरणालय, बक्सर
## (नजारत शाखा)
**जिला अतिथिगृह के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण सूचना**

सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 14211 दिनांक 27.12.2011 तथा उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7751 दिनांक 10.08.2010 के आलोक में जिला अतिथि गृह, बक्सर के आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. आंतरिक साफ – सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई शामिल होगी। इस कार्य के लिए 02 सफाई कर्मी, 01 माली, 01 विद्युत मिस्त्री, 01 गेटकीपर –सह– रात्रि प्रहरी एवं 01 रसोईया के रूप में अनुभवी व्यक्ति रखना होगा।
2. चयनित एजेन्सी द्वारा जिला अतिथि गृह के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख – रखाव, बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख – रखाव करना होगा।
3. हाउस कीपिंग में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, जिसे चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा –
   - क. जिला अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों का रख – रखाव तथा सभी कमरों में ई0पी0ए0बी0एक्स / इन्टर कॉम / ए0सी0 / टी0वी0 / गीजर / डी0जी0सेट का रख – रखाव / डीस का परिचालन, स्वीकृत निविदा दाता द्वारा 35 KVA का अतिरिक्त ध्वनि रहित डी0जी0 सेट अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।
   - ख. अतिथि गृह के फर्नीचर आदि की मरम्मति एवं रख – रखाव किया जाना होगा।
   - ग. अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा – साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्त्ति की जानी होगी।
   - घ. बेड़शीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया इत्यादि की आपूर्त्ति एवं इनकी सफाई / धुलाई करना होगा।
4. चयनित एजेंसी के द्वारा जिला अतिथि गृह में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना होगा। इसके लिए एक कुशल कुक रखना अनिवार्य होगा।
6. उपर्युक्त कार्यो के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा। तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा –
   - (i) अग्रधन के रूप में 20000.00 (बीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से मूल में संलग्न करना आवश्यक होगा।
   - (ii) निविदादाता के संस्था या फर्म का अद्यतन आयकर रिटर्न, अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन आयकर से संबंधित पैन कार्ड एवं सेवाकर निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा नोटरी) संलग्न करना आवश्यक होगा। संस्था या फर्म का उद्योग विभाग / श्रम विभाग या निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। संबंधित संस्था / व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर को अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) निविदाता को किसी संस्थान / प्रतिष्ठान में कैटरिंग / हाउसकिपिंग का न्यूनतम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव होने के साथ-साथ अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

**वित्तीय निविदा अलग लिफाफे में निम्न प्रकार रहेगी –**

- हाउस किपींग, साफ – सफाई, इलेक्ट्रानिक एवं अन्य उपकरणों के रख-रखाव इत्यादि के संबंध में, वर्दी में सेवा देने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान, कुशल / अर्द्धकुशल / अतिकुशल श्रमिकों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना पत्रांक 1202 दिनांक 28.03.2017 के अनुसूची-II में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा एवं इसका ब्यौरा सभी करों सहित संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को जिला अतिथिगृह के संचालन, रख- रखाव, आतिथ्य व्यय, साफ-सफाई, रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय का एक मुश्त मासिक दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।

7. अतिथि गृह में भोजन, चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जाएगी।
8. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
9. अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जाएगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
11. सामग्री की आपूर्त्ति निर्धारित मापदंड / गुणवत्ता, मात्रा एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
12. निविदा दिनांक 28.04.2017 को अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलेन के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों / प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।
13. न्युनतम मासिक दर वाले निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने तथा आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आउटसोर्सिग के माध्यम से जिला अतिथि गृह, बक्सर को सूचारू रूप से संचालन का कार्य प्रारम्भ कर देना होगा। निविदादाता के द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म में नहीं पाए जाने पर मासिक विपत्र से समुचित राशि की कटौति कर ली जाएगी।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

6.4.17

रमण कुमार,भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 08-03/17/नजा0,बक्सर,दिनांक 06.04.2017

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की 05 (पाँच) हॉर्ड प्रतियाँ एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निविदा सूचना को दो प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

6.4.17

रमण कुमार,भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बक्सर